भास्कर ए. सावंत
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन,जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि० कार्या० : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

कमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स / एमआईएस / पत्रा. / प्रे. 56 जयपुर, दिनांक: 09-07-2015

कार्यालय आदेश

यह देखा जा रहा है, कि रात्रि व दिन के विद्युत आपूर्ति भार में बड़ा अन्तर रहता है। रात्रि व दिन के लोड को लगभग एक समान करने के उद्देश्य से कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति चार ब्लॉक्स ए, बी, सी एवं डी में दिये जाने व प्रति सप्ताह दिन व रात्रि के कम में बदलने के निर्देश दिये गये हैं। इन आदेशों की पालना सभी स्तरों पर लगातार किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये सभी संबंधित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1 सभी 11 केवी फीडरों को ग्रामीण क्षेत्र में ए, बी, सी एवं डी ब्लॉक कम में इस प्रकार चिन्हित किया जावे कि ग्रिड में समान विद्युत भार हो सके। इसके लिये अधिशाषी अभियन्ता (पवस) अपने क्षेत्र के लिये जिम्मेदार होंगे व प्रत्येक 33 के.वी. सब–स्टेशन पर स्थित नोटिसबोर्ड पर इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं की जानकारी के लिये प्रदर्शित करावेंगे।

2 अधिशाषी अभियन्ता के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह दिन व रात्रि के बदलते कम में कृषि फीडरों पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित न करने, ब्लॉक समय से कम या अधिक विद्युत आपूर्ति करने, सिंगल फेज सप्लाई यथोचित न देने के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता प्राथमिक तौर पर सीधे जिम्मेदार होंगे।

3 अधिशाषी अभियन्ता प्रति सप्ताह चार कार्य दिवसों को अपने अधिनस्थ क्षेत्र में उपखण्डों का दौरा करते समय कम से कम एक 33 के.वी. सब–स्टेशन का औचक निरीक्षण करेंगे व यह भी देखेंगे कि वहां निर्देशों के अनुरूप ब्लॉक प्रति सप्ताह बदले जा रहे हैं या नहीं। इस बाबत 33 के.वी. सब–स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई पुस्तिका / रजिस्टर में स्थिति का इंद्राज करेंगें व इसकी लिखित रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता को ई–मेल या हार्ड प्रति में प्रस्तुत करेंगे।

4 इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता व संभागीय मुख्य अभियन्ता भी सप्ताह में दो उपखण्ड़ों का निरीक्षण करने के दौरान उस उपखण्ड के एक 33 के.वी. सब–स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे। सब–स्टेशन के रखरखाव के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सहित प्रत्येक कृषि फीडर पर ए, बी, सी एवं डी ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं इसकी जांच करेंगे व अवहेलना पाये जाने पर संबंधित दोषी कनिष्ठ / सहायक / अधिशाषी अभियन्ता व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

5 निगम स्तर पर प्रतिदिन प्रबन्ध निदेशक के प्रावेधिक सहायक द्वारा, प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक जिले में फीडर मैनेजर को दो 33 केवी सब–स्टेशनों की जांच हेतु एस.एम.एस. या ई–मेल द्वारा प्रातः 8 बजे सूचित करेंगे, जिनके सभी फीडरों की सी.एम.आर.आई फीडर मैनेजर द्वारा उसी दिन रिकार्ड की जाकर सांय 6 बजे तक कम्प्यूटरीकृत फीडरवार रिपोर्ट निदेशक (तकनीकी) व संभागीय मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता को भेजी जावेगी। फीडर मैनेजर द्वारा रिपोर्ट में सब–स्टेशन पर पायी जाने वाली कमियों के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति ब्लॉक को साप्ताहिक दिन व रात्रि के कम में न बदले जाने, निर्धारित समय से कम या अधिक समय के लिये तीन फेस या सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति करने, सिंगल फेस समय में सामान्य से अधिक विद्युत भार रहने के बारे में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम सहित रिपोर्ट मय कवरिंग हस्ताक्षरित नोट भी ई–मेल द्वारा भेजा जावेगा।

6 संभागीय मुख्य अभियन्ता प्रतिदिन ऐसी सभी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर आगामी दिवस पर 11 बजे तक निदेशक (तकनीकी) को कार्यवाही रिपोर्ट भेजेंगे।

7 आदतन लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निदेशक (तकनीकी) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को सूचित करेंगे।

8 आदतन लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अतिरिक्त उन्हें पदस्थापित जिले से अन्यंत्र भी स्थानान्तरित किया जावेगा।

9 सभी फीडर मैनेजरों का प्रशासनिक नियंत्रण पवस के अधीक्षण अभियन्ता के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से मीटर व प्रोटेक्शन विंग के संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता के अधीनस्थ किया जाता है तथा उनकी वित्तीय व अन्य सामान्य आवश्यकताओं के लिये पूर्व की भांति पवस के वृत लेखाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेंगे। वाहन, कर्मचारी व अन्य सामग्री उन्हें पूर्व की भॉति यथावत फीडर मैनेजर के पास ही रहेगी।

10 संभागीय मुख्य अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यवाहियों की कियान्विति को अपने अधिनस्थ क्षेत्र में दिनांक 15 जुलाई, 2015 से किया जाना सुनिश्चित करेंगे व व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन मॉनिटरिंग व समीक्षा कर निदेशक (तकनीकी) को अवगत करावेंगे।

11 मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी), प्रत्येक 220 केवी जीएसएसवार विद्युत भार की प्रत्येक 15 मिनट के ब्लॉक की निगरानी की व्यवस्था करेंगे व किसी 220 के.वी. जीएसएस पर विद्युत भार की समतुल्यता या लोड पूर्व में आंकलित भार के अनुरूप न पाये जावे तो इनके नियंत्रण कक्ष द्वारा संबंधित मुख्य अभियन्ता व निदेशक (तकनीकी) को एसएमएस व ई–मेल द्वारा सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। आरडीपीपीसी प्रतिदिन 220 केवी जीएसएस वार प्रत्येक 15 मिनट के विद्युत भार संबंधित सूचना का संकलन कर सभी संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (एम आई एस), निदेशक तकनीकी व प्रबन्ध निदेशक को आगामी दिवस को 11 बजे तक ई–मेल द्वारा सूचित करेंगे व गम्भीर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में स्वयं संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर अध्यक्ष डिस्कॉम्स को की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ...।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर को संबंधित डिस्कॉम के सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करने, निरीक्षण करने व मॉनिटरिंग करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. मुख्य अभियन्ता (पीपीपी/वाणिज्य/एमएम/आईटी/एमएण्डपी/आरडीपीपीसी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ...।.
5. सचिव (प्रशासन), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर /अजमेर/जोधपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी (एमएम/आईए/राजस्व/कंट्रोल/..............................), जयपुर/अजमेर/ जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि वे लेखाधिकारियों को उपरोक्तानुसार फीडर मैनेजरों के खाते व वित्त की व्यवस्था करें।
7. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. प्रावैधिक सहायक प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स